

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 46 सन 2019

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

बनाम

1. मोमनराम पुत्र गंगारमा जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
असल प्रतिवादी
2. राजेश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. मनोहर पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. अमित पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. संजय पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. सुलतान 7 शिशपाल 8 भगवानाराम 9 श्रीचन्द पि0 मोमनराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
- 10 साक्षी पुत्री श्रीचन्द जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
- 11 अंकिता 12 अनिता पुत्रीया भगवानराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
- 13 सुनीता पुत्री सुलतान पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर
हाल जसाना तहसील नोहर।
- 14 बसू पुत्री सुलतान पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी भगवानसर हाल निवासी जसाना
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. गीता पुत्री शिशपाल पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी भगवानसर हाल राजपुरिया
तहसील नोहर।
16. सुमन पुत्री शिशपाल पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर
हाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
17. गायत्री पुत्री शिशपाल पत्नी मोहित जाति जाट निवासी भगवानसर हाल निवासी नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
19. मैनेजर औ.बी.सी. बैंक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 18.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बास नाथैवाला के खाता संख्या 127/341 के खसरा न0 154/1 की 1.3660हैक खसरा न0 155/1 की 0.1640हैक , खसरा न0 176 की 2.9720हैक खसरा न0 177/1 की 5.8680हैक कुल 10.3700हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.074हैक भूमि स्थित है एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 197/263 के खसरा न0 292 की 7.3350हैक खसरा न0 293 की 3.9460हैक कुल 11.2810हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 308/341 के खसरा न0 294 की 3.7940हैक खसरा न0 295 की 4.3000हैक खसरा न0 526 की 5.3370हैक कुल 13.4310हैक भूमि जिसमें मोमन जी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/5 हिस्सा यानी 2.6862हैक भूमि दर्ज है। वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के सगे दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से उक्त भूमि का बाहमी राजीनामा में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया जिसके मुताबिक रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता संख्या 127/341 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.074हैक भूमि वादी का 1/5 हिस्सा , व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार है एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 197 /263 की कुल 11.2810हैक भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हे में वादी अकेला 1/5 हिस्सा , , व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा है इसी प्रकार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 308/341 की कुल 13.4310हैक भूमि में 1/5 हिस्सा यानी 2.6862हैक में वादी अकेला


1/5 हिस्सा , , व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व राजीनाम पेश किया जा चुका है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एक ही परिवार के सदस्य है वादी का कथन है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी विभाजन / बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के मध्य बाहमी बटवारा हुआ है जो वादी की मद संख्या 2 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता संख्या 127/341 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.074 हैक भूमि वादी का 1/5 हिस्सा , व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार है एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 197 /263 की कुल 11.2810 हैक भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हे में वादी अकेला 1/5 हिस्सा , , व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा है इसी प्रकार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 308/341 की कुल 13.4310 हैक भूमि में 1/5 हिस्सा यानी 2.6862 हैक में वादी अकेला 1/5 हिस्सा , , व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/1/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)